भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3462

दिनांक 10.12.2019/ 19 अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

3462. श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व उन्हीं का है। तथापि, महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है और पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक पहलें की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. यौन अपराधों के प्रभावशाली निवारण के लिए, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, जांच और विचारण प्रत्येक को 2 महीनों के अंदर पूरा करने का भी अधिदेश दिया गया है।

ii. आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) आधारित प्रणाली प्रदान करती है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान तक पहुंचाने का प्रावधान है।

iii. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

iv. गृह मंत्रालय ने अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए नागरिकों हेतु दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को साइबर-अपराध पोर्टल शुरू किया है।

v. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसका पता लगाने के लिए दिनांक 19 फरवरी, 2019 को पुलिस के लिए "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल शुरू किया है।

vii. 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जो अनन्य रूप से चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, विधिक परामर्श/न्यायालय मामला प्रबंधन, मनो-सामाजिक परामर्श और हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अस्थाई आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएं एक जगह पर मुहैया कराने के लिए तैयार की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 728 ओएससी अनुमोदित किए गए हैं और 595 ओएससी कार्य कर रहे हैं।

viii. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने की दृष्टि से समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

*****